संख्या- 659/26-ब0प्र0-2013-122(केन्द्रीय)/2010

प्रेषक,

दीनानाथ
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं
युवा कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊ: दिनांक: 28 नवम्बर, 2013

विषय:- वित्तीय वर्ष 2013-14 में पंयायत युवा क्रीडा और खेल अभियान योजना के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 में वार्षिक प्रतिस्पर्धी अनुदान (खेलकूद प्रतियोगिता) हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27/दो-90/प्रा0वि0द0/पायका/2013, दिनांक 09 अप्रैल 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 से पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान के अन्तर्गत ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर ग्रामीण प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु रू0 26,10,000/- (रू0 छब्बीस लाख दस हजार मात्र) की धनराशि केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2. महानिदेशक, प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण उत्तर प्रदेश यह सुनिश्चित करेगें कि उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में ही किया जाय और उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अन्त में शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय।

3. उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि व्यय प्रतिनिहित अधिकारों की सीमा के अधीन किया जायेगा तथा जहां कही भी व्यय हेतु शासन/अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उसे यथासमय प्राप्त कर लिया जाया व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय और शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/ 13, दिनांक 28 मार्च,13 में दिये गये निर्देशों आदि का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

4. व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008-मित0-1/2007, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

5. जिस मद हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा तथा इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी जिसके लिए आप उत्तरदाई होगें। उक्त धनराशि का उपयोग करते समय योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निर्धारित शर्तो/दिशा-निर्देशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-0102-पायका योजनान्तर्गत ब्लाक, जिला तथा राज्य स्तर पर ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN

आयोजन(के0100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) के नामें डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

संख्या- 659 (1)/26-ब0प्र0-2013-तद्-दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार सिविल (आडिट) प्रथम/द्वितीय , उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. अनु सचिव, युवा कल्याण एवं खेलकूद मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
अनु सचिव।

http://SHASANADESH.UP.NIC.IN